



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:

दिनांक:

परिपत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय पर आयकर की गणना हेतु भारत सरकार द्वारा नई व्यवस्था की घोषणा की गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल द्वारा पत्र संख्या 149/का०टै० एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 27.03.2020 निर्गत किया गया है जिसके द्वारा समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्मिकों से नये/पुराने स्लैब का विकल्प लेते हुए, आयकर की गणना कर औसत आयकर राशि को मासिक वेतन से धारा-192 के अन्तर्गत आयकर की कटौती एवं उसका सरकार को समयबद्ध अन्तरण/भुगतान करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह वित्तीय वर्ष 2020-21 के आयकर की औसत मासिक कटौती हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुमानित आय तथा उस पर नये अथवा पुराने आयकर के स्लैब का विकल्प चुन कर संलग्न प्रारूप में (Tentative Income Tax Memo For Deduction of Advance Tax) भरकर अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को दिनांक 10.10.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पुराने आयकर स्लैब के आधार पर वार्षिक आयकर की गणना करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के आयकर की कटौती वेतन से औसत आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

निदेशक(वित्त)

पत्रांक: 470/के०ले०का०/मु०भु०/2020-21 तददिनांक:-29/09/2020

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशकगण, उ०प्र०पा०का०लि०, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, आरएपीडीआरपी, पार्ट-ए उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आयकर की कटौती की व्यवस्था ERP में निहित कराने का कष्ट करें।
4. उपसचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०,।
- ✓ 6. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त कार्मिक, उ०प्र०पा०का०लि०,।
8. कटफाइल।

(नीरज चौरसिया)

उप मुख्यलेखाधिकारी(निधि)

TENTATIVE INCOME TAX MEMO FOR DEDUCTION OF ADVANCE TAX

For the Financial Year 2020-21 (Assessment Year 2021-22)

U/S- 192(i) OF INCOME TAX ACT

	नाम :	पदनाम :
	फोन नं०/मो०नं० :	अनुभाग :
	ई मेल (Compulsory) : -	पैन संख्या :
	आयकर हेतु चयनित विकल्प (नया स्लैब/पुराना स्लैब)	
क्र०सं०	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनुमानित आय/आयकर
1.	माह 03/2020 से 02/2021 तक कुल वेतन एवं भत्तों से प्राप्त आय (अनुमानित)	: Rs.
	वर्ष 2019-20 कुल वास्तविक आय	:Rs.
2	घटायें-स्टैंडर्ड डिडक्शन (अधिकतम) (पुराना स्लैब हेतु)	: Rs. 50000.00
3	जोड़े- अन्य स्रोत से आय	: Rs.
	योग ((1-2)+3)	: Rs.
4	घटायें : भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज (अधिकतम रु० 2,00,000/- तक) U/S-24(b) (पुराना स्लैब हेतु)	: Rs.
	अन्य बचत का विवरण :-	
1.		: Rs.
2.		: Rs.
3.		: Rs.
5	घटायें : बचत (अधिकतम रु० 1,50,000/- तक) U/S-80(C) एवं धारा-80 के अन्तर्गत अन्य कटौतियों का विवरण :- (पुराना स्लैब हेतु)	: Rs.
1.		
2.		
3.		: Rs.
5.	कराधीन आय	: Rs.
	वर्ष 2020-21 कुल वास्तविक आयकर रु०	
6.	देय आयकर	: Rs.
	वर्ष 2020-21 कुल वास्तविक आयकर रु०	
7.	देय आयकर पर 4 प्रतिशत अधिभार (कालम-6) (पूर्णांक 1 रु. में)	: Rs.
8.	सम्पूर्ण देय आयकर (कालम 6+7)	: Rs.
9.	देय आयकर (12 माह में) 1/12 के अनुसार	: Rs.
Monthly deduction GPF Rs.....		
हस्ताक्षर :		
नाम :		
पदनाम :		

ANNEXURE-I

Income Tax Slabs for individuals below 60 years of age under new tax regime – Applicable to FY 2020-21 (AY 2021-22) onwards

As per New Tax Payers Regime a taxpayer can now choose to opt for the new tax slab for FY 2020-21 AY 2021-22

Income Tax Slab for New FY 2020-21	New Tax Slab	Existing Tax Slab
Upto Rs 2.5 Lakhs	Exempt	Exempt
Rs 2.5- Rs 5 Lakhs	5%	5%
Rs 5- Rs 7.5 Lakhs	10%	20%
Rs 7.5 -Rs 10 Lakhs	15%	20%
Rs 10 - Rs 12.5 Lakhs	20%	30%
Rs 12.5 - Rs 15 Lakhs	25%	30%
Above Rs 15 Lakhs	30%	30%

- The tax calculated on the basis of such rates will be subject to health and education cess of 4%.
- Any individual opting to be taxed under the new tax regime from FY 2020-21 onwards will not be eligible to claim the following tax benefits:
 1. Leave travel concession as contained in clause (5) of section 10;
 2. House rent allowance as contained in clause (13A) of section 10;
 3. Some of the allowance as contained in clause (14) of section 10;
 4. Standard deduction of Rs. 50,000 u/s 16;
 5. Employment/professional tax deduction as contained in section 16;
 6. Interest under section 24 in respect of self-occupied or vacant property referred to in sub-section (2) of section 23. (Loss under the head income from house property for rented house shall not be allowed to be set off under any other head and would be allowed to be carried forward as per existing law);
 7. Any deduction under chapter VI-A ; [except 80CCD(2) - NPS Contribution by the employer]
 8. Others as prescribed

The option shall be exercised for every previous year where the individual has no business income, and in other cases the option once exercised for a previous year shall be valid for that previous year and all subsequent years.